सं0 सं0–18 / विविध–62 / 2013– 1128(18)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक / प्राचार्य,
सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।

सभी क्षेत्रीय उप निदेशक
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार।

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक– 16.07.2015

विषय :– बिहार राज्य में अवस्थित सभी सरकारी अथवा निजी अस्पतालों द्वारा एसिड अटैक एवं धारा 357C दण्ड प्रक्रिया संहित में वर्णित अन्य अपराधों के पीड़ितों को निःशुल्क चिकित्सा एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या–2. 28015 / 46 / 2013–H दिनांक 02.05.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र संख्या–2071 (18) दिनांक 21.12.2013 द्वारा निदेशित किया गया था कि सभी सरकारी / गैर सरकारी (निजी) स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित अस्पतालों / संस्थानों में तेजाब (एसिड) हमलों के पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (CRL) No. 129/2006 लक्ष्मी बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 10.04.2015 को पारित आदेश में निम्न दिशा निर्देश जारी किया गया है :–

(i) सभी सरकारी/गैर सरकारी/निजी अस्पताल तेजाब हमला से पीड़ित को तुरन्त पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेंगे। पूर्ण चिकित्सा सुविधा में दवा, बिस्तर, भोजन एवं पूर्ननिर्माण शल्य चिकित्सा (Reconstructive Surgery) भी सम्मिलित है।

(ii) कोई भी अस्पताल (सरकारी/निजी) अपने यहाँ विशेष सुविधा न होने के आधार पर पीड़ित को इलाज करने से इन्कार नहीं कर सकता है।

(iii) सभी अस्पतालों (सरकारी/निजी) द्वारा पीड़ित को जरूरी प्राथमिक उपचार किया जायेगा एवं पीड़ित को स्थिर होने के बाद ही उसे विशेष सुविधा (Specialised facility) एवं आगे की इलाज हेतु जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ स्थानांतरित किया जा सकेगा।

(iv) सभी सरकारी/गैर सरकारी/निजी अस्पताल, जहाँ तेजाब पीड़ित (Victim) का प्राथमिक उपचार किया गया है, के द्वारा इलाज किए जाने के सम्बन्ध में इस आशय का एक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा कि इलाजरत व्यक्ति तेजाब हमला का पीड़ित है।

(v) कोई भी अस्पताल (सरकारी/गैर सरकारी) द्वारा यदि तेजाब पीड़ित एवं अन्य अपराध यथा बलात्कार सहित दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (C) में परिभाषित पीड़ितों को निःशुल्क चिकित्सा देने से इन्कार किया जाता है तो उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166 (B) के तहत दण्ड की कार्रवाई की जाएगी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा सभी संबंधित के संज्ञान में लाया जाए।

3. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से तेजाब हमलों के पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान करने हेतु संकल्प संख्या–839 (14) दिनांक 13.07.2015 निर्गत किया गया है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 16/7

प्रधान सचिव।

सं0 सं0 – 14/विविध–15/15

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय :– मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष से तेजाब हमलों से पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान करने के संबंध में।

वर्तमान में तेजाब हगलों रो पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण विभिन्न जिलों, कसबों तथा गॉवों में व्यक्तिगत दुर्भावना से ग्रसित होकर असमाजिक तत्वों द्वारा तेजाब फेंक कर लोगों का (विशेष कर महिलाओं/ लड़कियों को) शरीर एवं चेहरा को जला दिया जाता है। कतिपय मामलों में तो उन पीड़ितों के ऑखों की रोशनी भी चली जाती है।

2. तेजाब हमला के पीड़ितों का शरीर एवं चेहरा जल जाने पर उनको तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता के उपरान्त प्लास्टिक सर्जरी कराने की भी आवश्यकता पड़ती है एवं इसमें काफी खर्च भी आता है जिसे वहन करना उसके लिए दुष्कर होता है। विकृत अंग को पुनः बहाल करने के लिए उन्हें Plastic Surgeon के पास शल्य चिकित्सा हेतु बार–बार जाना पड़ता है। तेजाब हमलों के पीड़ित व्यक्ति का दु:ख कम करने के लिए उनके प्लास्टिक सर्जरी कराने का सम्पूर्ण खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा।

3. (i) तेजाब हमले में पीड़ित व्यक्ति की सम्पूर्ण चिकित्सा (प्लास्टिक सर्जरी सहित) का सम्पूर्ण व्यय मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर वहन किया जायेगा। इसमें चिकित्सा पर व्यय राशि की कोई अधिकतम् सीमा नहीं होगी।

(ii) तेजाब हमलों के पीड़ित/पीड़िता द्वारा किसी भी नजदीकी चिकित्सा संस्थान/विशेषज्ञ चिकित्सक से चिकित्सा कराना अनिवार्य होता है। अतएव, इस मामले में चिकित्सा संस्थान की मान्यता प्राप्त होने की अनिवार्यता नहीं होगी।

(iii) इस संबंध में चिकित्सा करने वाले प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा संस्थान द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा कि यह मामला तेजाब हमले से पीड़ित का है तथा पीड़ित/पीड़िता मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष से प्रावधानित मुआवजा राशि प्राप्त करने योग्य है।

(iv) यह राशि सीधे संबंधित अस्पताल/चिकित्सा संस्थान को दी जाएगी।

(v) मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मुआवजा राशि प्रदान करने के लिए इस मामले में कोई वार्षिक आय संबंधी सीमा नहीं होगी।

(vi) संकल्प संख्या 752 (14) दिनांक 26.06.2015 में तेजाब हमलों के पीड़ितों को 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष' से प्रावधानित चिकित्सा सहायता की कंडिका 2 की उप कंडिका (xi) को इस हद तक संशोधित माना जाएगा।

ह0/–
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – /स्वा0 पटना, दिनांक –2015

प्रतिलिपि – अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 839 (14) /स्वा0 पटना, दिनांक –2015 - 13-7-15

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला एवं सचिवालय सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन को सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– महान्यायवादी, सर्वोच्य न्यायालय, नई दिल्ली /महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना,/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ।

13/7/15
सरकार के संयुक्त सचिव।
13-7-15